JALAUN POLICE

दिनांक – 06.06.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कान्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15,000-15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण–अभियुक्तगण 1. रूप सिंह पुत्र श्याम सिंह 2. श्याम सिंह पुत्र तुलाराम 3. पुष्पा देवी पत्नी श्यामसिंह निवासीगण ग्राम इगहपुरवा थाना कुठौन्द जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ दहेज की मांग कर प्रताड़ित करना व हत्या करने की घटना के संबन्ध में थाना कुठौन्द में दिनांक 21.10.2022 को मु0अ0सं0 201/22 (वाद संख्या 31/23) धारा 498ए/304बी/302/34 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए विवेचना पूर्ण कर उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 06.06.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल एससी/एसटी एक्ट कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुये प्रत्येक को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15,000-15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।